न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/2019 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2019/00030

उनवान

1. विमला देवी पुत्री किशन सिंह पत्नी श्री भीम सिंह
2. मुन्नीदेवी पुत्री किशन सिंह पत्नी भरत सिंह
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र कमल सिंह जाति जाट निवासी रीठोटी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. ओंकारी पत्नी श्री सम्पत सिंह } जाति जाट निवासी तालफरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
3. ढकेली पत्नी भोला सिंह }

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, कुम्हेर दिनांक 09.07.2018 एवं 27.11.2018 दिनांक उनवानी प्रताप सिंह बनाम विमला मु0न0 28/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर व नीरपाल कुन्तल उपस्थित

निर्णय दिनांक :– 27.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के आदेश दिनांक 09.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम रीठोटी तहसील कुम्हेर में स्थित है, जो प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक आराजी. है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी आराजी है। परन्तु अप्रार्थी के पिता किशन सिंह व बदन सिंह व धूप सिंह द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साज कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

चालाकी व बेईमानी से खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून गलत रूप से अपने नाम दर्ज करा लिया है। जबकि मुताबिक कानून पैतृक आराजी होने के कारण उक्त विवादित आराजी में 1/5–1/5 हिस्सा के प्रत्येक काबिज खातेदार काश्तकार हैं। गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थी विवादित आराजी को दीगर जगह खुर्द–बुर्द करने को आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे तय सीमा में निर्णित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में पोषणीय है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः पोषणीय नहीं रहती है। ऐसे आदेश के विरूद्ध रिवीजन से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अभिभाषक रैस्पो0 की आपत्ति है कि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं हैं। हमने गौर किया। यह सही है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2018 एक अंतरिम आदेश है। परन्तु न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2014 पेज 409 माननीय राजस्व मण्डल बृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 50 में यह सिद्धन्त प्रतिपादित किया है कि–

an ex-parte order granting temporary injuction under Section 212 of the Act, in normal circumstances, is not appealable under Section 225 of the said Act, but if the Court granting such an ex-parte temporary injuction fails to perform its mandatory duty as provided in Rule 3 and 3A of Order 39 othe Code, then the aggrieved party who is deprived of justice due to inaction of the Court shall be entitled to right of

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

appeal against an ex-parte or ad- interim ex-parte order granting temporary injunction.

इसी प्रकार न्यायिक नजीर डी0एन0जे0 2014(1) पेज 35 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्तान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण Venkatasubbiah Naidu Vs. S. Ahallappan & Ors 2000(3) के फैसले को संदर्भित करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:—

Under the normal circumstances the aggrieved party can prefer an appeal only against an order passed under Rule 1,2, 2-A, 4 or 10 of Order 39 of the code in terms of Order 43 Rule 1 of the code. He cannot approach the appellate or revisional Court during the pendecy of the application for grant or vacation of temporary injuction. In such circumstances the party who does not get justice due to the inaction of the Court in following the mandate of law must have a remedy. in a case where the mandate of Order 39 Rule 3-A of the Code is flouted, the aggrieved party, shall be entitled to the right of appeal notwithstanding the pendeny of the application for grant or vacation of a temporary injuction, against the order remaining in force.

Failure to decide the application or vacate the ex party temporary injuction shall, for the purposes of the appeal, be deemed to be the final order passed in the application for temporary injuction, on the date of expiry of thirty days mentioned in the Rule.

न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है एवं अपील प्रस्तुती दिनांक 23.01.2019 तक प्रकरण को निस्तारित ना करते हुये, अग्रिम पेशी निर्धारित की जाती रही हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश आदिनांक तक अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं हो पाया है। जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यो एवं न्यायिक दृष्टान्त की पृष्ठभूमि में, हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय पाते हैं। गुणावगुण पर हम पाते हैं कि प्रार्थी/रैस्पो0 विवादित आराजी में अपने पूर्व पुरूष कमल सिंह के देहान्त के बाद कमल सिंह के पॉचो पुत्रो का वहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा होना एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा राजस्व कर्मचारियो से साज कर गलत रूप से विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज होना कथन करते हैं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होगा। चूंकि प्रतिवादी/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.08.2018 को उपस्थित हो चुके हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण का अधिकतम एक माह में विधिवत रूप से अन्तिम निस्तारण करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तव तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर